न्यायालय राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0 के0 अग्रवाल

सदस्य

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/अशोकनगर/भू0रा0/2017/4067 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.10.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 97/2009-10/अपील

चन्द्रभानसिंह यादव पुत्र श्री गजरामसिंह,
निवासी ग्राम रातीखेड़ा, तहसील व जिला अशोकनगर, म0प्र0।

---आवेदक

विरूद्ध

संतोषसिंह पुत्र श्री मुसाबसिंह यादव,
निवासी ग्राम रातीखेड़ा, तहसील व
जिला अशोकनगर म0प्र0।

---अनावेदक

1- श्री सुनील जादौन, अभिभाषक ----------आवेदक के लिये।
2- श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक ---------- अनावेदक के लिये।

//आदेश //

(आज दिनांक 1-5-18 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 97/2009-10/अपील में पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के द्वारा तहसीलदार अशोकनगर के न्यायालय में इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम रातीखेड़ा तहसील व जिला अशोकनगर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 531/1 रकबा 0.293 हे0 एवं सर्वे क्रमांक 551/1 रकबा 0.606 हे0 निगरानीकर्ता के भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि के खसरे में बटानम्बर हैं किन्तु अक्श नक्शा में बटानम्बर कायम नहीं हुये हैं जिसके कारण शासकीय योजनाओं का लाभ

निगरानीकर्ता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में खसरा एवं नक्शा में समरूपता किया जाना न्यायोचित है। अत: नक्शा में लालस्याही से संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/अ-3/2006-07 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 05-07-2007 से संशोधन किये जाने का आदेश दिया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2007 से परिवेदित होकर अनावेदक के द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के न्यायालय में अपील पेश की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 07/2007-08/अपील माल पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 22-09-2009 से निरस्त की गयी। अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-09-2009 से व्यथित होकर अनावेदक के द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, जो प्रकरण क्रमांक 97/2009-10/अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 25-10-2017 से स्वीकार करते हुये अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर एवं तहसीलदार अशोकनगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2017 से दुखी होकर निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3 - प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख आहूत किया जाकर उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के तर्क सुने गये।

4 - निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क प्राय: उन्हीं बिन्दुओं के आधार पर पेश किये गये हैं, जिनका उल्लेख निगरानी मेमो में किया गया है। इसके अलावा मौखिक रूप से यह तर्क भी प्रस्तुत किये गये हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी निगरानीकर्ता हैं। प्रश्नाधीन भूमि खसरे में बटाकंन होकर राजस्व अभिलेख में दर्ज है, किन्तु अक्स नक्शे में बटानम्बर कायम नहीं किये थे, जिसके बटा कायमी हेतु निगरानीकर्ता के द्वारा विचारण न्यायालय में आवेदन पत्र पेश किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत विज्ञप्ति का प्रकाशन कराया गया। अन्दर म्याद कोई आपत्ति न होने के बाद राजस्व निरीक्षक से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मय पंचनामा तथा प्रस्तावित अक्श नक्शा तलव किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आपत्तियां भी आहूत की गयी थीं मेडिया कृषकों के समक्ष पंचनामा तैयार किया जाकर ही सीमाएं पुख्ता की गयी हैं। यदि अनावेदक को कोई आपत्ति थी, तो यथासमय ही विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करना चाहिये थी। अनावेदक को बटाकंन की कार्यवाही पूर्ण जानकारी होते हुये भी उसके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत

नहीं की गयी थी। बाद में बदनियति आ जाने के कारण ही अवधिवालय अपील अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के न्यायालय में पेश की गयी, जो निरस्त की गयी। अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा तकनीकी आधार कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट व पंचनामा संलग्न नहीं हैं, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 10-06-2007 को ग्राम पंचान के समक्ष पंचनामा तैयार किया जाकर ही प्रस्तावित बटांकन तरमीम लाल स्याही से करने की अनुशंसा की गयी थी। इस बिन्दु पर अपर आयुक्त के द्वारा कोई विचार न किया जाकर अपील स्वीकार करने में भूल की गयी है। अत: अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2017 विधि सम्मत न होने के कारण निरस्त किया जाकर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जावे और प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जावे।

5 - गैरनिगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यही तर्क पेश कि विचारण न्यायालय के द्वारा अपने आदेश में राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट एवं मौके का पंचनामा का उल्लेख किया गया है, जबकि प्रकरण में न तो राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट संलग्न है और न मौके का पंचनामा ही संलग्न है। अनावेदक के अभिभाषक ने अपने तर्क में यह भी तर्क पेश किये गये कि विचारण न्यायालय द्वारा बटांकन आदेश पारित करने से पहिले न तो अनावेदक को कोई सूचना भेजी और न ही उन्हें साक्ष्य अथवा सुनवाई का अवसर दिया गया। जबकि अनावेदक हितबद्ध पक्षकार था, उसे व्यक्तिश: सूचना देना आवश्यक था। इस प्रकार से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा विचाराधीन आदेश दिनांक 25-10-2017 में जो निष्कर्ष निकाले जाकर अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार की गयी है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अत: अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत आदेश है, यथावत रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

6 - मैनें प्रकरण में उभयपक्षकारों के विद्वान अभिभाषकगणों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता द्वारा अपनी भूमिस्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 531/1 एवं 551/1 का नक्शे में बटांकन कायमी

करने तथा लालस्याही से पुख्ता किये जाने बावत आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर दिनांक 08-05-2007 को विज्ञप्ति जारी की जाकर दिनांक 30-05-2007 तक आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। यदि अनावेदक को कोई आपत्ति थी तो उसे विचारण न्यायालय के समक्ष यथासमय अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहिये थी, जो अनावेदक के द्वारा नहीं की गयी। प्रकरण में कोई आपत्ति न आने के कारण विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से स्थल जांच कर जांच प्रतिवेदन चाहा गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 10-06-2007 को मौके पर जाकर जांच की गयी तथा पंचान के समक्ष पंचनामा तैयार किया जाकर प्रस्तावित बटांकन तरमीम लालस्याही से कब्जे के अनुसार प्रस्तुत की गयी। राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजे गये जांच प्रतिवेदन के आधार पर नक्शे में तरमीम लालस्याही से पुख्ता किये जाने का आदेश दिया गया। विद्वान अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा यह मानकर कि प्रकरण में राजस्व निरीक्षक द्वारा भेजा गया प्रतिवेदन एवं पंचनामा संलग्न नहीं है। जबकि विचारण न्यायालय ने अपने आदेश पत्रिका में दिनांक 12-06-2007 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजस्व निरीक्षक की ओर से रिपोर्ट प्राप्त। यदि रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है, तो इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर निगरानीकर्ता(आवेदक) को दण्डित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने से पहिले अनावेदक को न तो सूचना दी और न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया गया, जबकि प्रकरण में अनावेदक को सुना जाना आवश्यक ही नहीं है। आवेदक द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि जो कि खसरे में बटांकन है, किन्तु नक्शे में बटांकन नहीं किया गया था, को पुख्ता करने के लिये ही आवेदन पत्र विचारण न्यायालय में पेश किया गया था। जिस भूमि का बटांकन चाहा गया था, वह भूमि अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की नहीं थी। 2017 रे0नि0 134 ब्रजेश बामने विरूद्ध श्रीमती गायत्री महालहा में राजस्व मण्डल द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि तहसीलदार द्वारा नक्शा का रूपान्तरण अधिकारितारहित नहीं। बटांकन, स्थल निरीक्षण/ प्रतिवेदन तथा भौतिक कब्जानुसार आधारित द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन, पंचनामा तथा भौतिक कब्जानुसार भेजे गये प्रतिवेदन के आधार पर ही जो निष्कर्ष निकाल कर नक्शे में बटांकन किया जाकर लालस्याही से पुख्ता किये जाने का जो आदेश दिया गया है, वह विधिसम्मत

आदेश है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर द्वारा यथावत रखा गया है। अत: ऐसे उचित एवं विधिसम्मत आदेश को अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा निरस्त करने में भूल की गयी है। अत: अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत न होने के कारण स्थिर रखे जाने का कोई न्यायोचित आधार परिलक्षित नहीं होता है।

अत: उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25-10-2017 विधिसम्मत न होने के कारण निरस्त किया जाता है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05-07-2007 यथावत रखा जाता है। प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापिस किया जावे तथा प्रकरण अंक से कम किया जाकर दाखिल रिकार्ड किया जावे।

(डॉ0 एम0 के0 अग्रवाल)
सदस्य
म0प्र0 राजस्व मण्डल
ग्वालियर